2024/664 (314) 2024 परिवाद सं० 08

जन सुनवाई

To Tdr

27.12.24

नावां डीडवाना कुचामन

	जमाबंदी में प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि को अन्डरलाईन करें)	की जाने वाली शुद्ध प्रविष्टि का विवरण
	2	3
- चौसला	दियालराम पुत्र बक्षाराम	दयालराम पुत्र बक्षाराम
- भाटेपुरा	जाति गुर्जर	जाति गुर्जर
- 24, 25		
719, 744 वगैरह		
48.25 हैक्टेयर		

संलग्न दस्तावेज (संलग्न दस्तावेज पर टिक का निशान लगाए) –

1. अशुद्धि होने से तुरन्त पहले की जमाबंदी / नकशा
2. अशुद्धि के बाद की वर्तमान जमाबंदी / नकशा
3. प्रभावित नामान्तरण की सत्यप्रति
4. हिस्से संबंधी अशुद्धि होने पर मजमे आम में हल्का पटवारी द्वारा तैयार खसरा / वंशावली
5. प्रार्थी द्वारा वंशावली के संबंध में शपथ पत्र।

कुल संलग्नक संख्या: .....

दयालराम

हस्ताक्षर आवेदक

हल्का पटवारी व भू.अ.नि. की टिप्पणी मय स्पष्ट अनुशंसा (सपोर्टेड दस्तावेजों की जांच उपरांत) –

महोदयजी ग्राम भाटेपुरा की खाता सं. 24, 25 में प्रार्थी का नाम दियालराम दर्ज है। जबकि प्रार्थी के पहचान दस्तावेजो-आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड में दयालराम दर्ज है अतः दियालराम के स्थान पर दयालराम दर्ज किया जाना उचित है। रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

भू.अ.निरीक्षक 27/12/24 IPR - लूणवां

हस्ताक्षर पटवारी

प.चौसला

तहसीलदार की टिप्पणी –

27.12.2024

तहसीलदार नावां

गोपीराम

आधार 3396970792 65

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नावां जिला डीडवाना कुचामन

क्रमांक / राजस्व / धारा 136 / 2024 / 314 दिनांक:– 27/12/24

आदेश

प्रार्थी दयालराम निवासी चौसला के आवेदन तथा हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार नावां की रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में हुई अशुद्धि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त आवेदन पत्र के सारणी के बिन्दु सं. 3 में अंकित प्रविष्टि अनुसार शुद्धि की कार्यवाही कर तहसीलदार नावां राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना से अपीलकर्ता को अवगत करावें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी नावां

क्रमांक / राजस्व / धारा 136 / 2024 / 314 दिनांक:– 27/12/24

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. तहसीलदार नावां को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
2. हल्का पटवारी चौसला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. प्रार्थी / आवेदक दयालराम को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नावां